दि. 9.12.23 को पेश हो।

9.12.23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील वादी
प्रार्थी उपस्थित आये। वकील वादी द्वारा
पत्रावली के संबंधित तथ्यों को ध्यान
रखा। मौखिक बहस सुनी गई तथा
पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों
का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। पत्रावली
पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड, अभिलेखीय,
प्रमाणपत्र स्टाम्प पत्रावली सहित, स्वत्वाधिकार
आवेदनकर्ता आदि के आधार पर वाद
वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत
होता है अतः वाद वादी का स्वीकार किया
जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया
जाकर आज्ञापत्र किया गया।

पत्रावली में फल शुमार की जाकर बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 49 / 2023 तारीख दायरा 21.08.2023

उनवान

सिरवरसागर उर्फ सरोज शर्मा पुत्री प्रद्युम्न पत्नि ललितेश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम घटाल तहसील सांगोद हाल निवासी धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा। – वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

श्री मनोज कुमार शर्मा (वकील वादी) दिनांक :– 09/12/2024

श्री सरकार पैरोकार

–– निर्णय ––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीनी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम घटाल पटवार हलका मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या नया 2 के खसर नं. 401 की रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नं. 402 की रकबा 3.46 हेक्टर कुल किता 2 की कुल रकबा 3.48 हैक्टर आराजी स्थित है जिसमें वादीनी का 5/48 हिस्सा निहित है तथा

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

माल ग्राम घटाल पटवार हलका मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 खाता संख्या नया 3 की खसरा नं. 403/569 की रकबा 0.18 हैक्टर आंराजी स्थित है जिसमें वादीनी का 1/6 हिस्सा निहित है। उक्त आराजियात वादीनी को अपनी स्वर्गीय पिता प्रद्युम्न की मृत्यु के बाद खुले फौती इंतकाल से वादीनी के खाते दर्ज हुई है। वादीनी का घर का बोलता नाम सिरवरसागर था तथा पीहर में वादीनी को सभी सिरवरसागर के नाम से ही पुकारते थे इसलिए पिता प्रद्युम्न की मृत्यु के पश्चात खुले फौती इंतकाल में वादीनी का घर का बोलता नाम सिरवरसागर लिखवा दिया जो आज भी राजस्व रेकार्ड में सिरवरसागर दर्ज हो रहा है।

वादीनी के विवाह के पश्चात वादीनी के ससुराल में वादीनी को सभी सरोज शर्मा के नाम से ही पुकारने लगे और वादीनी के विवाह के बाद बने सभी दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में वादीनी का नाम सरोज शर्मा पत्नी ललितेश शर्मा निवासी धाकडखेडी जिला कोटा दर्ज हो रहा है। वादीनी के राजस्व रेकार्ड व पहचान के दस्तावेजात में नाम की भिन्नता आने के कारण वादीनी को उक्त आराजियात में कृषि कनेक्शन लेने, सरकारी कांटे पर अनाज बेचने, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, कृषि ऋण प्राप्त करने आदि में परेशानी आ रही है। जबकि उक्त दोनों नाम मेरे ही है तथा मुझ वादीनी को उक्त दोनों ही नामों से जाना व पहचाना जाता है तथा हमारे गांव में इस नाम व वल्दीयत की अन्य कोई महिला नहीं है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीनी का वाद स्वीकार कर इस आशय की इन्द्राज दुरुस्ती की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावें कि–

माल ग्राम घटाल पटवार हलका मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता संख्या नया 2 के खसर नं. 401 की रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नं. 402 की रकबा 3.46 हैक्टर कुल किता 2 की कुल रकबा 3.48 हैक्टर आराजी व खाता संख्या नया 3 की खसरा नं. 403/569 की रकबा 0.18 हेक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम सिरवरसागर पुत्री प्रद्युम्न के स्थान पर सिरवरसागर उर्फ सरोज शर्मा पुत्री प्रद्युम्न पत्नी ललितेश शर्मा निवासी घटाल तहसील सांगोद

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

हाल निवासी धाकडखेडी तहसील लाडपुरा कोटा दर्ज किया जावें तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जायें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रकरण में तहसीलदार सांगोद द्वारा पत्रांक 10 दिनांक 31.01.2024 के माध्यम से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादीनी सिरवरसागर को शादी के बाद से ससुराल में सरोज शर्मा के नाम से पुकारते हैं। प्रकरण में तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं है।

इसके उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा पत्रावली में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया। मेरे द्वारा बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, सरपंच ग्राम पंचायत मण्डाप द्वारा जारी प्रमाण पत्र, वादीनी के आधार, जनाधार, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जवाब सरकार आदि के आधार पर वाद वादीनी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीनी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम घटाल पटवार हलका मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता संख्या नया 2 के खसर नं. 401 की रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नं. 402 की रकबा 3.46 हैक्टर कुल किता 2 की कुल रकबा 3.48 हैक्टर आराजी व खाता संख्या नया 3 की खसरा नं. 403/569 की रकबा 0.18 हेक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम सिरवरसागर पुत्री प्रद्युम्न के स्थान पर सिरवरसागर उर्फ सरोज शर्मा पुत्री प्रद्युम्न पत्नी ललितेश शर्मा दर्ज करने की घोषणा की जाती है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती कर अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार मुक्त होने के उपरान्त ही आदेश की पालना की जावें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक ०५/१२/२०२५ को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)
(रामप्रसाद मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner